[2010]13 (एडीडीएल.) एस.सी.आर. 574

शक्ति देवी

बनाम़

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएनआर.

(2006 की सिविल अपील संख्या 3660)

नवंबर 09, 2010

[आफताब आलम और आर.एम. लोढ़ा, जेजे]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - एस. 166 - मुआवज़ा - दावा - घातक मोटर दुर्घटना - मृतक उम्र 22 वर्ष, अधिकरन ने रु. 35000/- 10% साधारण ब्याज प्रतिमाह के साथ का अधिकरन कि तारीख से वसूली तक का अधिनिर्नय दिया। मुआवजे की गणना रु. 60,000/- और रु. 25000/- को बिना किसी गलती के दायित्व के लिए दावेदार को भुगतान के रूप में समायोजित किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया - अपील पर अभिनिर्धारित मृतक 22 वर्ष का था और उसकी शादी नहीं हुई थी, डी और लगभग रु। 1,000/- प्रति माह - अभिलेख पर साक्ष्य है कि मृतक को भविष्य में सरकारी नौकरी मिली होगी - तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्भरता की वार्षिक हानि रुपये के रूप में ली गई है। 12000/- और दावेदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए 11 का गुणक लागू करते हुए मुआवजा बढ़ाकर रु. 132000/- प्रति वर्ष 10% साधारण वार्षिक ब्याज के साथ।

ड्राइवरों की लापरवाही से बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक 'पी' की मौत हो गई। वह 22 साल का था और लगभग रु. 1000/- प्रति माह कमाता था.. 'पी' के माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की। अधिकरन ने 8 के गुणक को लागू करते हुए मुआवजे की गणना 60000/- रुपये में की। जिसमें से बिना गलती देनदारी के लिए दावेदार को भुगतान की गई 25000/- की राशि को समायोजित किया गया और दावेदार को रुपये 35000/- 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ अधिनिर्नय की तारीख से लेकर उसकी प्राप्ति तक दिया। यह पुरस्कार बीमा कंपनियों के बीच समान रूप से बांटा गया था। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। व्यथित, अपीलकर्ता मुआवजे की मात्रा को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : **1.1** वर्तमान मामले में, दुर्घटना के समय, मृतक 22 वर्ष का था और विवाहित नहीं था। वह अपने घर में एक जनरल स्टोर चला रहा था और लगभग रुपये कमा रहा था। व्यवसाय से प्रति माह 1000/- रु. *सरला वर्मा के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जहां मृतक स्व-रोज़गार था, वहां अदालत आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेगी; वहां से प्रस्थान केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और

असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में विशेष परिस्थितियाँ शामिल हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि मृतक को अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद वन विभाग में नौकरी मिलनी थी। साक्ष्य सरकारी नीति पर आधारित है। इस प्रकार, मृतक को निकट भविष्य में सरकारी नौकरी की उचित उम्मीद थी। परिस्थितियों में, मृतक की मृत्यु के समय वास्तविक आय को संशोधित किया जाता है और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मृतक की मासिक आय रुपये 2000/- निर्धारित की जानी चाहिए।. [पैरा 12] (584-ए-डी]

1.2 व्यक्तिगत खर्चों के संबंध में, चूंकि मृतक की शादी नहीं हुई थी, इसलिए *सरला वर्मा के मामले में सिद्धांत लागू किया जा सकता है कि 50% को स्नातक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, निर्भरता का वार्षिक नुकसान 12000/- रुपये होगा।ट्रिब्यूनल ने 8 का गुणक लागू किया। यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था। ऐसे मामले में जहां दावेदार की उम्र मृतक की उम्र से अधिक है, खोई हुई निर्भरता के पूंजीकरण के लिए दावेदार की उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि मृतक की उम्र को। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणक का चुनाव की उम्र से निर्धारित होता है.

मृतक या दावेदार का, जो भी अधिक हो। दावेदार की सही उम्र अभिलेख् में नहीं आई है. दुर्घटना दिनांक को दावेदार की उम्र लगभग 54-55 वर्ष होगी। *सरला वर्मा के मामले में तैयार की गई तालिका के अनुसार, 11 का गुणक, लागू होगा। निर्भरता की वार्षिक हानि (रु.12000/-) को 11 के गुणक से गुणा करने पर, दावेदार अधिकरन द्वारा निर्धारित मुआवजा 132000/- रुपये की राशि में मुआवजे का हकदार है। मो0 60000/- और उच्च न्यायालय द्वारा अपील में इसे बरकरार रखा जाना स्पष्ट रूप से गलत है, और इसे बढ़ाकर रु. 132000/-.जिसका भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा अपीलकर्ता को अधिकरन के फैसले की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ किया जाएगा, जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित तरीके से निर्धारित अवधि के भीतर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। (पैरा 12 और 13] (584-ई-एच; 585-ए-डी]

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121 - पर निर्भर किया।

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य। (1994)2 एससीसी 176; डेविस.और अन्य. v पॉवेल डफ़रिन एसोसिएटेड कोलियरीज़ लिमिटेड (1942) 1 सभी ईआर 657; सरला दीक्षित (श्रीमती) और अन्य। बनाम बलवंत यादव और अन्य। (1996) 3 एससीसी 179; अबाती बेजबरूआ बनाम उप. निदेशक गेर्नरल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य।

(2003) 3 एससीसी 148; ऊपर। राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। बनाम त्रिलोक चंद्र और अन्य (1996) 4 एससीसी 362; फकीरप्पा और एन. बनाम कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री और अन्य। (2004) 2 एससीसी 473; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली एंड अन्य। (2005) 10 एससीसी 720- संदर्भित। केस कानून संदर्भ:पैरा 7 (1994) 2 एससीसी 176 संदर्भित (1942) 1 सभी ईआर 657 पैरा 7 एच संदर्भित

(2009)6 एससीसी 121 पैरा पर आधारित

(1996) 3 एससीसी 179 पैरा 9

(2003) 3 एससीसी 148 पैरा 9

(1996) पर आधारित 4 एससीसी 362 पैरा 10

(2004) 2 एससीसी 473 पर आधारित पैरा 10

(2005) 10 एससीसी 720 पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में संदर्भित: सिविल अपील संख्या 2000 का 3660

2000 (आर) के एम.ए. संख्या 157 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 05.12.2003 से।

अपीलकर्ता के लिए ब्रज किशोर मिश्रा, अपर्णा झा, अभिषेक यादव उत्तरदाताओं के लिए

संजय जैन, देबासिस मिश्रा।

न्यायालय का फैसला ई आर.एम. द्वारा सुनाया गया।

आर एम लोढ़ा, जे. 1. एक माँ जिसने मोटर दुर्घटना में अपने 22 वर्षीय बेटे को खो दिया था, उसे दिए गए अपर्याप्त मुआवज़े से व्यथित होकर, विशेष अवकाश द्वारा अपील कर रही है। अपीलकर्ता और उनके पति सच्चिदानंद सिन्हा हज़ारीबाग़ के बदोम बाज़ार में रहते थे और उनका बेटा प्रवीण कुमार सिन्हा उनके साथ रहता था। प्रवीण कुमार सिन्हा ने बी.कॉम (ऑनर्स) किया था और घर में चल रहे जनरल स्टोर से लगभग 1000 रुपये प्रति माह कमा रहे थे। 26 फरवरी 1991 को प्रवीण कुमार सिन्हा और उनके पिता ने बस (यूपी 72-9015) से रांची की यात्रा की। बस जब करमाही जंगल के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक (पैक्स 4785) से टक्कर हो गयी. उस समय दोनों वाहन तेजी और लापरवाही से चलाए जा रहे थे। दुर्घटना के परिणामस्वरूप दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अपीलकर्ता के बेटे प्रवीण कुमार सिन्हा को गंभीर चोटें आईं।

उन्हें नवजीवन अस्पताल, तुंबागाड़ा, मनिका ले जाया गया जहां कुछ दिनों के बादउनकी मृत्यु हो गई।

2. अपीलकर्ता और उसके पति ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पलामू, डाल्टनगंज (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, बी "1988 अधिनियम') की धारा 166 के तहत दावा अपने बेटे की मृत्यु के लिए दोनों वाहनों के मालिकों और बीमाकर्ताओं 2 लाख रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए दायर किया। याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता के पति की मृत्यु हो गई और तदनुसार, उसका नाम काट दिया गया।

3. दो वाहनों के मालिक, जिन्हें विपक्शि संख्या 1 और 2 के रूप में शामिल किया गया था, न तो उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित बयान दर्ज कराया। बीमा कंपनियों ने अलग-अलग लिखित बयान दायर किया और दावा याचिका का विरोध किया। विपक्षी नं. 3- बस के बीमाकर्ता ने दुर्घटना के लिए ट्रक को दोषी ठहराया जबकि विपक्शि नं. 4- ट्रक के बीमाकर्ता ने कहा कि यह दुर्घटना बस चालक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

4. अधिकरन अभिनिर्धारित किया कि दावेदार के बेटे की मृत्यु बस (यूपी 72-9015) और ट्रक (पीएएक्स 4785) वाहनों के चालकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना में हुई। मुआवजे की मात्रा के संबंध में, अधिकरन ने मृतक की कमाई को रु0 1000/- प्रति माह और व्यक्तिगत खर्चों में 1/3 की सीमा तक कटौती करने के बाद, वार्षिक निर्भरता 7920/- रुपये पर निर्धारित की गई। अधिकरन ने 8 का गुणक लागू किया और अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार गणना की गई मुआवजा राशि 63360/- रु. होगी। अधिकरन ने तब इसे राउंड आंकड़ा रु. 60000/- बना दिया। और समायोजन के बाद रु. 25000/- का भुगतान दावेदार को बिना किसी गलती के दायित्व के लिए किया गया था, यह माना गया कि दावेदार रुपये की अतिरिक्त राशि का हकदार था। 35000/- और उसे 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान किया गया। अधिनिर्नय की तिथि दिनांक 6 जून 2000 से इसके कार्यान्वयन तक, अधिकरन ने अधिनिर्नित राशि को बीमा कंपनियों के बीच समान रूप से बाँट दिया।

5. अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष चुनौती दी। हालाँकि, उनकी अपील 5 दिसंबर 2003 को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

6. इस अपील में विचार के लिए एकमात्र मुद्दा मुआवजे की मात्रा के संबंध में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री ब्रज किशोर मिश्रा ने तर्क दिया कि मोटर दुर्घटना में 22 वर्षीय लड़के की मृत्यु के लिए 60000/- बहुत कम रुपये का मुआवजा। है और उच्च न्यायालय ने अधिनिर्नय को बनाए रखने में गंभीर रूप से गलती की है, हालांकि अधिकरन ने निर्भरता पर पहुंचने के साथ-साथ गुणक को लागू करने में भी गलती की है।

7. शुरुआत में ही यह कहा जाना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के साथ-साथ 1988 अधिनियम से उत्पन्न दावा मामलों में इस न्यायालय द्वारा गुणक पद्धति को लगातार लागू किया गया है। इस न्यायालय ने महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य के मामले में जोर दिया। गुणक विधि तार्किक रूप से सुदृढ़ और कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित है और इसका पालन किया जाना चाहिए; जिससे विचलन केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और बहुत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है।हम दोहराते हैं कि 1988 के अधिनियम के तहत मुआवजे का आकलन करने के लिए गुणक विधि ही एकमात्र विधि बनी रहनी चाहिए। गुणक विधि में एक उपयुक्त गुणक द्वारा वार्षिक निर्भरता (अर्थात गुणक) के नुकसान का पूंजीकरण शामिल होता है। इस प्रकार, 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत एक कार्रवाई में, अधिकरण को पहले खोई हुई निर्भरता के वार्षिक मूल्य का आकलन करना आवश्यक है। निर्भरता के नुकसान के वार्षिक मूल्य की गणना में पहला कदम 1. (1994) 2 एससीसी 176 की तारीख है।

मृतक की मृत्यु. मृतक की मृत्यु की तारीख पर निर्भरता के मूल्य को मृतक की आय में संभावित परिवर्तनों के आलोक में संशोधित किया जा सकता है जो भविष्य में आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए होगा। डेविस और अन्य में. बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड?, लॉर्ड राइट ने कहा, "बताने वाला बिंदु मजदूरी की वह राशि है जो मृतक कमा रहा था, जिसका पता लगाना कुछ हद तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकता है।फिर इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता या विस्तार हुआ। शेष राशि एक डेटाम या मूल आंकड़ा देगी जिसे आम तौर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों की खरीद के आधार पर एकमुश्त राशि में बदल दिया जाएगा। इस संबंध में हमारे लिए मामले में और अधिक गहराई से जाना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, इतना कहना पर्याप्त है डेविस केस2 में लॉर्ड राइट के उपरोक्त कथन को इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में लागू किया गया है।

8. हाल ही में सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य के मामले बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 20 में इस प्रकार पेक्षण किया:

"20. आम तौर पर मुआवजे की गणना के लिए मृतक की आयकर घटाकर वास्तविक आय प्रारंभिक बिंदु होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मृत्यु के समय की वास्तविक आय को आय के रूप में लिया जाना चाहिए या क्या इसमें कोई वृद्धि नोट करके की जानी चाहिए भविष्य की संभावनाओं के बारे में।"
9. सरला वर्मा के न्यायालय ने तब सुसम्मा थॉमस, सरला दीक्षित (श्रीमती) और अन्य के मामले में इस

न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। बलवंत यादव और अन्य, अबाती बेजबरुआ बनाम उप।महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य 5 और 2 में

2 (1942) 1 सभी ईआर 657

3 (2009) 6 एससीसी 121

4 (1996) 3 एससीसी 179

5 (2003) 3 एससीसी 148।

शक्ति देवी बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 581 एएनआर. [आर.एम. लोधा, जे जे की रिपोर्ट का पैराग्राफ 24 इस प्रकार है:

"24. सुसम्मा थॉमस में इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित में आय में केवल 50% की वृद्धि हुई और अबाती बेजबरूआ में आय में मात्र 7% की वृद्धि हुई। असंभव और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम एक नियम के रूप में अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी (जहां वार्षिक आय है) मृतक की वास्तविक वेतन आय में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी कर योग्य सीमा में, शब्द "वास्तविक वेतन" को "वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए)। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष है तो जोड़ केवल 30% होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, वहां कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। यद्यपि साक्ष्य वृद्धि के अलग-अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, विभिन्न मानदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को परिस्थितिवश करना आवश्यक है।जहां मृतक स्व-रोज़गार था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेंगी। विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही इससे छूट दी जानी चाहिए।

'' 10. फिर व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती के संबंध में, सरला वर्मा मामले में इस न्यायालय ने फिर से सुसम्मा थॉमस1, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम पर विचार किया। त्रिलोक चंद्र और अन्य और फकीरप्पा और अन्य बनाम करमाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री और अन्य और निम्नानुसार आयोजित किए गए:

6. (1996) 4 एससीसी 362।

7. (2004) 2 एससीसी 473।

"31. जहां मृतक कुंवारा था और दावेदार माता-पिता हैं, कटौती एक अलग सिद्धांत का पालन करती है। कुंवारे लोगों के संबंध में, आम तौर पर, 50% व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में काटा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक कुंवारा व्यक्ति ऐसा करेगा। स्वयं पर अधिक खर्च करें। अन्यथा, उसकी कम समय में शादी होने की भी संभावना है, ऐसी स्थिति में माता-पिता और भाई-बहनों के

योगदान में भारी कटौती होने की संभावना है , पिता की अपनी आय होने की संभावना है और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा और अकेले मां को आश्रित माना जाएगा, इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाइयों और बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र और कमाने वाला होगा, या विवाहित होगा, या पिता पर निर्भर होगा।

32. इस प्रकार, भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन जीवित हों, केवल माँ को ही आश्रित माना जाएगा, और 50% को स्नातक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में माना जाएगा और 50% को परिवार में योगदान के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, जहां कुंवारे का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर निर्भर है, जैसे कि उसकी एक विधवा मां और बड़ी संख्या में छोटी गैर-कमाऊ बहनें या भाई हैं, तो उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्च को सीमित किया जा सकता है। एक तिहाई और परिवार में योगदान दो तिहाई माना जाएगा।

" 11. सरला वर्मा[2] में गुणक के चयन के संबंध में, यह न्यायालय सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में पहले के निर्णयों पर विचार कर रहा है।

लिमिटेड बनाम चार्ली और अन्य ने निम्नलिखित तालिका तैयार की:

आयु मृत	गुणक के रूप में स्केल परिकल्पित में सुसम्मा थॉमस	गुणक पैमाना स्वीकृत त्रिलोक चंद्रा द्वारा	गुणक पैमाना त्रिलोक चंद्रा जैसा कि चार्ली गुणक निर्दिष्ट में स्पष्ट	दूसरे में कॉलम इन तालिका दूसरे में अनुसूची एमवी को अधिनियम की धारा 4	गुणक वास्तव में दूसरे में प्रयुक्त के लिए अनुसूची एमवी एक्ट (जैसा कि देखा गया है) मात्रा से क्षतिपूर्ति की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 वर्ष तक	-	-	-	15	20
15 से 20 वर्ष	16	18	18	16	19
21 से 25 वर्ष	15	17	18	17	18
26 से 30 वर्ष	14	16	17	18	17
31 से 35 वर्ष	13	15	16	17	16
36 से 40 वर्ष	12	14	15	16	15
41 से 45 वर्ष	11	13	14	15	14
46 से 50 वर्ष	10	12	13	13	12
51 से 55 वर्ष	9	11	11	11	10
56 से 60 वर्ष	8	10	9	8	8
61 से 65 वर्ष	6	08	7	5	6
65 से अधिक वर्ष	5	05	05	5	5

उपरोक्त तालिका के आलोक में, यह न्यायालय यह माना गया कि 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा मामलों में, कॉलम 4 में उल्लिखित गुणक को लागू किया जाना चाहिए।

12. जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, दुर्घटना के समय मृतक 22 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी।वह अपने घर में एक जनरल स्टोर चला रहा था और लगभग रुपये कमा रहा था। व्यवसाय से प्रति माह 1000/- रु. सरला वर्मा मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जहां मृतक स्व-रोज़गार था, वहां न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेगा; वहां से प्रस्थान केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। क्या वर्तमान मामले में विशेष परिस्थितियाँ शामिल हैं? हमारे विचार में, ऐसा होता है। साक्ष्य यह मिले हैं कि मृतक को अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद वन विभाग में नौकरी मिलनी थी. जाहिर है सबूत सरकारी नीति पर आधारित है। इस प्रकार, मृतक को निकट भविष्य में सरकारी नौकरी की उचित उम्मीद थी। इन परिस्थितियों में, मृतक की मृत्यु के समय वास्तविक आय को संशोधित करने की आवश्यकता है और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, मृतक की मासिक आय रुपये निर्धारित की जानी चाहिए। 2000-. जहां तक व्यक्तिगत खर्चों का संबंध है, चूंकि मृतक की शादी नहीं हुई थी, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सरला वर्मा[2] में कहा गया सिद्धांत कि 50% को स्नातक के व्यक्तिगत और रहने वाले खर्च के रूप में माना जाना चाहिए, लागू किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो निर्भरता का वार्षिक नुकसान रु. 12000/-. जहां तक गुणक का सवाल है, ट्रिब्यूनल ने 8 का गुणक लागू किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 18 का गुणक मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए था।तर्क में कोई दम नहीं है. ऐसे मामले में जहां दावेदार की उम्र मृतक की उम्र से अधिक है, खोई हुई निर्भरता के पूंजीकरण के लिए दावेदार की उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि मृतक की उम्र को।ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणक का चुनाव मृतक की उम्र या दावेदार की उम्र, जो भी अधिक हो, से निर्धारित होता है। दावेदार की सही उम्र रिकॉर्ड में नहीं आई है. AW1 (पंकज कुमार सिन्हा) के साक्ष्य के अनुसार, गवाही की तारीख पर, दावेदार की उम्र लगभग 63 वर्ष थी। AW-1 के बयान की तारीख उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना 1991 में हुई और न्यायाधिकरण के फैसले की तारीख है 6,जून 2000 आमतौर पर, साक्ष्य पूरा होने के बाद ट्रिब्यूनल को ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम मान सकते हैं कि एडब्ल्यू-1 का बयान 1998 या 1999 में कहीं दर्ज किया गया था। यदि ऐसा है, तो दुर्घटना की तिथि पर दावेदार की आयु लगभग 54-55 वर्ष होगी, इसलिए, निर्भरता की वार्षिक हानि (12000 रुपये) को गुणा करने पर 11 का गुणक लागू होगा) 11 के गुणक के साथ, दावेदार 132000/- रुपये की राशि के मुआवजे का हकदार हो जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा 60000/- रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसे बढ़ाकर 132000/- कर दिया गया है।

13. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। बढ़ा हुआ मुआवज़ा बीमा कंपनियों द्वारा अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के फैसले की तारीख (6 जून, 2000) से लेकर वास्तविक भुगतान बराबर होने तक 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ अधिकरन द्वारा निर्देशित तरीके से भुगतान किया जाएगा। आज से दो महीने. पार्टियां अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

एन.जे.

यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।